

वाद पत्र अन्तगत धारा 88 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा

उपरिथत अभिभाषकगण

1. श्री योगेश जोरड़, कल्पना बेनीवाल – वादीगण
2. श्री तरसेम सिंह – प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :- 11/12/20

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश जोरड़ व कल्पना बेनीवाल प्रतिवादी 1की श्री तरसेमसिंह और से श्री अनिल कुमार अधिवक्ता की उपस्थिति में आज दिनांक 11/12/20 को कपिल यादव आर.ए. एस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाकर डिक्री की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 7 आर.पी.वी., तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 26/23 के पत्थर नम्बर 168/357 मुरब्बा नम्बर 8 किला नम्बर 1/3/.190, 2/2/.240, 3/2/.240, 4/2/.240, 5/2/.057, 6/2/.060, 7 ता 9, 10/2/.202, 11/2/.202, 12 ता 14, 15/2/.069, 16/2/.061, 17 ता 19, 20/2/.202, 21/2/.202, 22 ता 24, 25/2/.060 कुल कित्ता 25 कुल क्षेत्रफल 5.051 हैक्टेयर कृषि भूमि में से वादी को 1 है. व प्रतिवादी सं. 2 को 1 है. भूमि के खातेदार घोषित किये जाते।

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बिरानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेगे।

यह डिक्री आज दिनांक 11/12/20 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गई।

(कपिल यादव)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

प्रमाणित प्रतिलिपि

राजदर
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

मिलान किया
dr